

170

277

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्र०क० R.5425-7/16



श्रीमती शकुन्तला चौरसिया पत्नी राजकिशोर चौरसिया आयु 50 वर्ष निवासी संग्राम कालोनी सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....निगराकार

बनाम

मुकेश केशरवानी पिता श्री कुन्जीलाल केशरवानी निवासी रीवा रोड सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र०.....गैरनिगराकार

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक प्रभारी वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना के सीमांकन

रा०प्र०क०-34ए12/ 14-15 मे पारित आदेश दिनांक 13/02/15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50

म०प्र०भू०रा०सं०

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है:-

प्रकरण के तथ्य

1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कृपालपुर प०ह०कृपालपुर रा०नि०मं०सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना स्थित आराजी नं०-759/2 रकवा 0.010हे० नं०-760/1 रकवा 0.042हे० नं०-761/2 रकवा 0.008हे० की भूमि स्वामिनी निगराकार है इन भूमियो को निगराकार ने पूर्व भूमि स्वामिनी स्वाती पंजवानी पत्नी रवीन्द्र पंजवानी निवासी सिन्धी कैम्प सतना से दिनांक 30/07/14 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र कय कर मालकाना कब्जा दखल प्राप्त किया था और कथ दिनांक से उक्त भूमियो पर निगराकार काबिज चली आ रही है विक्रय के पूर्व, पूर्व भूमि स्वामिनी स्वाती पंजवानी काबिज दखील रही है । उक्त भूखण्ड मे चारो तरफ 07 फिट ऊंची दीवाल बनी हुई है और गेट

श्री शकुन्तला चौरसिया की ओर से  
राजातन्द्रा प्रसाद  
द्वारा पेश 24-9-16  
24-9-16  
क्लर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल ग्वालियर  
(सर्टिफिकेट) रीवा

शकुन्तला चौरसिया

170

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक निग.5425-II/2016

जिला-सतना

श्रीमती शकुन्तला चौरसिया/मुकेश

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री रामानन्द मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त सतना, तहसील रघुराजनगर के प्रकरण क्रमांक 34/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 13.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 08.07.19 को कलेक्टर, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p> <p style="text-align: right;"></p>	